



उत्तराखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

-- : आम सूचना : --

उत्तराखण्ड राज्य के सभी ग्रामीणों को सूचित किया जाता है, कि यदि आपके निकट का कोई चापाकल साधारण मरम्मत हेतु बन्द है, तो कृपया निम्न निःशुल्क दूरभाष पर शिकायत दर्ज करें :-

1-800-3456-502

विभाग आपकी शिकायत को 72 (बहतर) घंटे के अन्दर दूर करने हेतु कृत संकल्प है।

अन्य खराबी के सम्बन्ध में भी शिकायत दर्ज की जा सकती है, जिस पर भी कार्रवाई की जायेगी।

जल का एक-एक बूंद कीमती है, कृपया इसे बचाएँ।

(सज्जाद हसन)
अभियंता प्रमुख।